अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री राजन विशाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. पदम शंकर सिंघानिया पुत्र स्व॰ श्री महावीर प्रसाद सिंघानिया,
2. श्रीमती लता सिंघानिया पत्नी श्री अनुज सिंघानिया,
   निवासी प्लॉट नम्बर 8/73 गुरूकृपा, विद्याधर नगर, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. अनुज सिंघानिया पुत्र श्री पदम शंकर सिंघानिया,
2. श्रीमती सरोज सिंघानिया पत्नी श्री अनुज सिंघानिया,
   निवासी प्लॉट नम्बर 8/73 गुरूकृपा, विद्याधर नगर, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.03.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 04/2021 ब उनवानी पदम शंकर सिंघानिया बनाम अनुज सिंघानिया।

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 09.06.2022**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 04/2021 ब उनवानी पदम शंकर सिंघानिया बनाम अनुज सिंघानिया में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी 1 व 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण दोनों पति–पत्नी है तथा वरिष्ठ नागरिक भी है एवं बिना सहायता के आने जाने में असमर्थ है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपीलार्थीगण के पुत्र व पुत्रवधु है तथा प्रत्यर्थी नम्बर 1 व 2 वर्तमान में अपीलार्थी के खरीदशुदा मकान 8/73 विद्याधर नगर, जयपुर के एक कमरे में बतौर लाईसेन्सी रह रहे है जिसके आने जाने का रास्ता गैलेरी में से है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का विवाह प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ दिनांक 07.01.2014 को अपीलार्थीगण ने धूमधाम से वर व वधू दोनों पक्षों का खर्चा वहन करते हुए किया था। यही नहीं प्रत्यर्थीगण ने विवाह से आज तक भी सेवा सुश्रषा, भरण पोषण व हारी बिमारी में देखभाल या सहायता करना तो दूर की बात कमरे, बिजली–पानी व अन्य सुविधाओं का उपयोग व उपभोग भी मुफ्त में कर रहे है। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थीगण से कुछ भी सहायता मांगे जाने पर गाली–गलौच व मुंह बिचकाते हुये ताने सुनने को मिलते है। विवाह के कुछ समय बाद से ही प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण के मकान 8/73, गुरूकृपा विद्याधर नगर में अपना हिस्सा या 50 लाख रूपये लेने के लिए झूंठे आरोप लगाते हुए लड़ाई झगड़ा करके अपीलार्थीगण को अपमानित व हैरान–परेशान करने पर तुले हुए है। अपीलार्थीगण के द्वारा मकान का हिस्सा देने से मना करने पर प्रत्यर्थीगण आये दिन उनके परिवार, रिश्तेदारों व महमानों के साथ अभद्र व्यवहार मारपीट गाली–गलौच व भद्दे–भद्दे शब्दों से सम्बोधित करके उनको जलील व लज्जित करने पर तुले हुए है यही नहीं समाज में भी झूंठे गलत व आधारहीन लांछन लगा कर अपीलार्थीगण व उसके परिवार की साख, इज्जत व गरिमा को धूमिल कर रहे है। अपीलार्थीगण व नाते–रिश्तेदारों के समझाने के पश्चात भी प्रत्यर्थीगण द्वारा दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, छेडछाड़ व चरित्र हनन आदि की झूंठी शिकायते व मुकदमों में लांछन लगा करके भी अपीलार्थी व उसके परिवार को बार–बार मानसिक रूप से तंग व प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रत्यर्थीगण के कुत्सित कृत्यों से अपीलार्थीगण व उसके परिवार का जीना व मकान में रहना हराम होने के कारण ही मजबूर होकर अपीलार्थीगण के द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5, 22, एवं 23 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। अधीनस्थ अधिकरण के आदेश से अपीलार्थीगण को ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थीगण ने उनके प्रार्थना पत्र का जवाब अधीनस्थ अधिकरण में पेश तो किया है, परन्तु उसकी नकल अपीलार्थीगण को नहीं दी गई है ना ही अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा अपीलार्थीगण को सूचित ही किया गया। अधीनस्थ अधिकरण ने दिनांक 07.03.2020 को अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण को हर माह 5000/–रूपये भरण पोषण व पानी बिजली के बिल का आनुपातिक तौर पर 1/3 हिस्सा प्रति माह अपीलार्थीगण को देय होगा तथा अपीलार्थीगण को बीमारी की अवस्था में चिकित्सा व्यवस्था व दवाईयों की आवश्यकता पर होने वाली खर्च राशि का भुगतान प्रत्यर्थी नम्बर 1 व 2 के द्वारा वहन किया जावेगा। साथ ही प्रत्यर्थीगण को सद्व्यवहार करने हेतु भी पावन्द किया है। अधीनस्थ अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राइव जिसमें प्रत्यर्थी नं॰ 2 सरोज के द्वारा बोली गई अभद्र भाषा व लगाये गये अनैतिक संबंध के झूंठे लांछनों के कई आडियो में 11 आडियो बतौर साक्ष्य पेश किये है, जिनसें स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण का अपनी खरीदशुदा सम्पत्ति में जीना व मकान में रहना कैसे हराम हो रहा है। इस तथ्य को नजर अन्दाज करके अपीलार्थीगण की सम्पत्ति से प्रत्यर्थीगण को बेदखल नहीं करके भी भारी भूल की है। इसलिए अपीलाधीन आदेश संशोधित किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मैसेज व व्हाट्सप की टाईप कापी जो प्रत्यर्थी नं॰ 2 सरोज स्वयं व उसकी बहन सुश्री पुष्पा, श्री पूरण व मामाजी श्री मुन्ना जी को समय समय पर भेजे

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

गये है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण के व्यवहार से अपीलार्थीगण किस कदर प्रताड़ित हो रहे है । इस तथ्य को भी नजर अन्दाज करके भारी भूल की है । अधीनस्थ अधिकरण पे आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की नजीर AIR 2020 Raj Page 27 (Order of eviction and delivery of vacant possessoon against son and daughter–in-law can be sought U/a.5. अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया था। जिस पर गौर नहीं कर अपीलार्थी की सम्पत्ति से प्रत्यर्थीगण को बेदखल नहीं करके भी भारी भूल की है। अधीनस्थ अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को दी जा रही रोज–रोज की क्रूरता, मानसिक संताप व प्रताड़ना से व्यथित हो कर अपने स्वामित्व की सम्पत्ति से बेदखल करने की प्रार्थना को नजर अन्दाज कर भूल ही नही कि, बल्कि प्रत्यर्थीगण ने अपनी कारगुजारियों के कारण अपीलार्थीगण की सम्पत्ति में रहने का विधिक अधिकार भी खो दिया है इस पर भी गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ अधिकरण ने प्रत्यर्थीगण का सद्व्यवहार करने हेतु पाबन्द करने का आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तथ्य को नजर अंदाज किया है कि क्या पाबन्द किये जाने मात्र से अपीलार्थीगण सुरक्षित हो जाएंगे। अगर प्रत्यर्थीगण पाबन्द करने के पश्चात् भी नहीं सुधरे तथा सद्व्यवहार नही करे तो उस अवस्था में क्या होगा? जबकि आपसी सबंध तार–तार हो चुके हैं और प्रत्यर्थीगण के अभद्र व्यवहार, गंदी गालियां तथा बदचलनी आदि के झूंठा इल्जाम लगा कर जलील व लज्जित करने को रोकने में असमर्थ पुलिस का भी यही कहना है कि प्रत्यर्थीगण का मुंह तो बन्द नही कर सकती है, वह तो केवल पाबन्द ही कर सकती है, पाबन्द करने से क्या होता है? शिकायत करते रहिये व चक्कर लगाते रहिये। इस समस्या का एक मात्र समाधान, इन दोनों से कमरा खाली करा कर इन्हें बेदखल करना ही हो सकता है। इसलिए आदेश दिनांक 7.3.2022 को संशोधित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अधीनस्थ अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय अधिनियम के प्रावधानों व न्याय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना न करते हुये भी भारी भूल ही नहीं की, बल्कि अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण के रहमों करम पर छोड़ कर उसको अधिनियम 2007 में प्रतिपादित नियमों व सिद्धान्तों में दिये जाने वाले लाभ से वंचित कर अन्धे कुए में ढ़केल दिया। अपीलार्थीगण प्लॉट नम्बर 8/73 गुरूकृपा, विद्याधर नगर जयपुर के स्वामी मालिक है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकरणों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा कि सम्पत्ति के स्वामी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे जिसे अपनी सम्पत्ति में रखे, निवास करने देवें, जिसे चाहे अपनी स्वामित्व की सम्पत्ति से बेदखल कर दे। इसलिए अपीलार्थीगण जो कि सम्पत्ति के स्वामी है तथा प्रत्यर्थीगण को अपनी सम्पत्ति में नहीं रखना चाहते है, बेदखल करना चाहते है, जैसे महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अधिकरण ने बिजली व पानी के बिल का भुगतान आनुपातिक तौर पर तीनों द्वारा वहन किया जावेगा का आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तथ्य को नजर अन्दाज किया है कि बिजली व पानी के बिल आनुपातिक हिस्से का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को कौन व कैसे सूचित करेगा? जबकि प्रत्यर्थीगण से मांगना तो मौत को न्यौता देना है। इसी कारण आज तक भी बिजली व पानी के बिलों का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को नहीं कहा गया है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीगण की बीमारी की अवस्था में चिकित्सीय व्यवस्था, दवाई की आवश्यकता पर होने वाले खर्च राशि का वहन प्रत्यर्थीगण द्वारा किया जावेगा का आदेश पारित कर भारी भूल की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अधिकरण द्वारा ऐसा कैसे सम्भव मान लिया गया, जबकि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण को फूटी आंखें नहीं सुहाते है। प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलार्थीगण की चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार संभव होगी, बल्कि अधीनस्थ अधिकरण ने जीते जी ही अपीलार्थी को मारने का प्रबन्ध कर दिया है। अतः अपीलाधीन आदेश संशोधित करने का आदेश पारित करते हुए इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि अपीलार्थीगण के स्वामित्व की सम्पत्ति गुरूकृपा 8/73, विद्याधर नगर, जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर सम्पत्ति का खाली कब्जा अपीलार्थीगण को दिलवाया जाने का आदेश फरमावें। प्रत्यर्थीगण को पाबन्द भी किया जावे कि अपीलार्थीगण के उत्सव,समारोह,आयोजनों व अन्त्येष्टि तथा क्रियाक्रम आदि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में कोई बाधा या विघ्न नहीं डाले, ना डलवाये, ना ही, स्वयं सम्मिलित होवे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुयें दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी के नाम से एक मकान संख्या 8/73, विद्याधर नगर जयपुर जिसमें दो मंजिला निर्माण हो रखा है और कुल छः कमरे दो हाल व दो रसोई बनी हुई है जिसमें से प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी केवल मात्र एक कमरे में ही निवास करती है तथा शेष कमरे व सम्पूर्ण मकान में प्रत्यर्थी अनुज के माता पिता व भाई–भाभी व छोटा अविवाहित भाई मनीष सिंघानिया रहते हैं। अपीलार्थी के तीन पुत्र क्रमशः भुवनेश सिंघानिया, अनुज सिंघानिया एवं मनीष सिंघानिया है जो कि इसी मकान में अपीलार्थीगण के साथ रहते है। इन लोगों के पास इस मकान में स्थित कुल पांच कमरे, दो हाल व दो रसोई कब्जे शुदा है । प्रत्यर्थी के पास केवल मात्र एक कमरा है। प्रत्यर्थीगण के पास इस कमरे के अलावा रहने के लिए भारत वर्ष में कोई अन्य सम्पत्ति नहीं है। परिवार के अन्य सदस्यों के बहकावे में आकर मकान से बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 2 अधिनियम में परिभाषित संतान की परिभाषा में नहीं आती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 एक बहु होने के नाते सदैव अपने सास व ससुर की सेवा सुश्रषा करने को तैयार व तत्पर है। प्रत्यर्थी संख्या 1 मजबूरीवश बेरोजगार हो जाने के कारण अपीलार्थी अपने पिता पदम शंकर सिंघानिया को रूपया पैसा नहीं दे सकता है, जबकि अपीलार्थी श्री पदम शंकर सिंघानिया के बड़े बेटे भुवनेश सिंघानिया का प्रीसियस, सेमी प्रीसियस व ज्वैलेरी का व्यवसाय है तथा बिचून मार्केट, किशनपोल, बाजार में दुकान है। प्रत्यर्थी के बड़े भाई व अपीलार्थी के बडे बेटे भुवनेश सिंघानिया की मासिक आमदनी लगभग 1,00,000/–रूपये व अपीलार्थी की बड़ी बहु जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर कार्यरत है, जिसका मासिक वेतन लगभग 70,000/–रूपये, अन्य भत्ते मिलाकर 90,000/–रूपये मिलते है। अपीलार्थी का छोटा पुत्र अविवाहित है तथा अपना काम करके लगभग 50,000/–प्रति माह कमाता है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 बेरोजगार होने के कारण किसी भी प्रकार की कोई आमदनी नहीं है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 एक प्राईवेट स्कूल में अध्यापिका है, जिसको 13,500/–रूपये प्रति माह मिलते है। जो कि वर्तमान में महामारी के कारण स्कूल बंद रहने से केवल मात्र 6,500/–रूपये ही मिलते है। जिससे अप्रार्थीगण का बड़ी मुश्किल से अपना भरण पोषण करते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 एक कमरे में रहते है। शेष मकान का सारा हिस्सा अपीलार्थी व अन्य परिवार जन के पास है। प्रत्यर्थीगण द्वारा केवल मात्र 3 बाल्टी पानी व एक ट्यूब लाईट व एक पंखे की बिजली का उपयोग किया जाता है जिसके पेटे अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से 1000/–रूपये प्रति माह प्राप्त करते है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत संक्षिप्त कार्यवाही के आधार पर धारा 5 के तहत विवाहित महिला को वैवाहिक घर से नहीं निकाला जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में किसी भी विवाहित महिला

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

व संतान को संक्षिप्त प्रकिया के तहत आवासीय मकान से खाली नहीं करवाया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसाल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अपीलार्थीगण के तीन पुत्र है परन्तु एक पुत्र अनुज सिंघानिया के विरूद्ध ही अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर भरण पोषण राशि व मकान से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बतौर भरण पोषण राशि पांच हजार रूपया प्रति माह नियमित तौर से अदा करने का आदेश दिये है, जो उचित है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण को मकान से बेदखली के अनुतोष पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 (1) के तहत केवल भरण पोषण हेतु आदेश दिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी ने किस धारा के तहत प्रत्यर्थीगण को मकान से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है, इसका अपील मीमों में कोई उल्लेख नहीं किया है। अधिनियम की धारा 23 (1) यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण उसे शून्य घोषित किया जावेगा। उक्त प्रकरण में ऐसा कोई सशर्त अन्तरण नहीं पाया गया है। इसलिए इस प्रकरण में धारा 23 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। सम्पत्ति से बेदखल किये जाने बाबत इस अधिनियम में प्रावधान नहीं है। इस बाबत सिविल न्यायालय ही सक्षम है। अतः अपीलार्थी द्वारा मकान से बेदखली बाबत चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी के साथ शान्तिपूर्वक रहवास में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रत्यर्थी 2 व 3 को पाबन्द किया हुआ है। अधीनस्थ अधिकरण के आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **09.06.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

09/06/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर